संख्या : 12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक : 20 नवम्बर, 2017**

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-2018 की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017 दिनाँक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(17) में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ केन्द्रांश प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने तथा प्रस्तर-10 में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने एवं कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह की धनराशि कोषागार से आहरित कर, देने की व्यवस्था है ।

2- संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा केन्द्र पोषित योजना की वित्तीय स्वीकृतियाँ, केन्द्रांश प्राप्त हुये बिना जारी की गयी हैं तथा निर्माण कार्यों के लिये कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तर-2(12)(घ) एवं 2(12)(च) के अनुसार अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी है जबकि कार्यदायी संस्था को दो-दो महीने की आवश्यकता के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

उपरोक्त के कारण राज्य की अर्थोपाय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

3- अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि-

(1) केन्द्र पोषित योजनाओं के लिये बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से कराने के उपरान्त <u>प्राप्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति</u> प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) केन्द्र पोषित योजना में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष <u>राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति</u> वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जाये ।

(3) कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(12)(घ) एवं 2(12)(च) के अनुसार अवमुक्त धनराशि, प्रस्तर-10 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो-दो माह की आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये । निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि सम्बन्धी स्वीकृति आदेश में प्रस्तर-10 में आहरण हेतु उल्लिखित व्यवस्था का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये ।

कृपया वित्तीय वर्ष 2017-2018 की वित्तीय स्वीकृतियाँ उक्तानुसार जारी की जायें । कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 03 अगस्त, 2017 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

<u>संख्या : 12/2017/बी-1-1455(1) /दस-2017-231/2017, तददिनाँक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
2. **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
3. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**
8. **निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।**
9. **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
10. **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
11. **गार्ड बुक ।**

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in